

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
आधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 अप्रैल 2010—वैशाख 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. 2705-163-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, शतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१०

**मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि
(संशोधन) अधिनियम, २०१०.**

[दिनांक २३ अप्रैल २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ अप्रैल २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

भाग—एक

**मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२)
में संशोधन.**

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, शब्द "नौ हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द "नौ हजार" तथा "छह हजार" के स्थान पर, शब्द "तेरह हजार" तथा "दस हजार" क्रमशः स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) में, शब्द "बारह हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (३) में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "आठ सौ" स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

**मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०)
में संशोधन.**

धारा ३ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "नौ हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द "नौ हजार" के स्थान पर, शब्द "तेरह हजार" स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) में, शब्द "बारह हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (३) में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "आठ सौ" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. 2706-163-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2010

**THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA EVAM NETA
PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.**

[Received the assent of the Governor on the 23rd April 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April, 2010].

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may called the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksh Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 2010. Short title.

PART I

Amendment to the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972 (No. 27 of 1972).

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972 (No. 27 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand", the words "ten thousand" shall be substituted. Amendment of Section 2.

3. In Section 3 of the Principal Act,—

Amendment of Section 3.

(i) in sub-section (1), for the words "nine thousand" and "six thousand", the words "thirteen thousand" and "ten thousand" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "twelve thousand", the words "eighteen thousand" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3), for the words "five hundred", the words "eight hundred" shall be substituted;

PART II

Amendment to the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1980 (No. 8 of 1980).

4. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1980 (No. 8 of 1980) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand" the words "ten thousand" shall be substituted. Amendment of Section 3.

**Amendment of
Section 4.****5. In Section 4 of the Principal Act,—**

- (i) in sub-section (1), for the words “nine thousand” the words “thirteen thousand” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the words “twelve thousand”, the words “eighteen thousand” shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3), for the words “five hundred”, the words “eight hundred” shall be substituted.